न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016

1. दिलीपसिंह पुत्र स्व0 श्री छेलूराम
2. गिरधारी पुत्र स्व0 श्री छेलूराम
3. अत्तरसिंह पुत्र स्व0 श्री छेलूराम
4. रिसालसिंह पुत्र स्व0 श्री छेलूराम

   निवासीगण- ग्राम देलावाड़ी, ग्राम बमनई, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, म0प्र0
5. शिवलाल पुत्र श्री रिछपालसिंह निवासी- ग्राम पवेरा तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा
6. श्रीमती निम्बोबाई पत्नी श्री हरफूलसिंह पुत्री स्व0 श्री रिछपालसिंह
7. स्तरा पत्नी टेकचन्द्र पुत्री स्व0 श्री रिछपालसिंह निवासी- सागरपुर (इमराड़ा) तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा
8. श्रीमती सजनीबाई पत्नी स्व0 श्री सज्जनसिंह पुत्री स्व0श्री रिछपालसिंह
9. कपूरसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह पुत्र स्व0 श्री रिछपालसिंह
10. परमवीरसिंह पुत्र स्व0 श्री सज्जनसिंह, पुत्र स्व0श्री रिछपालसिंह

11.लखपति पुत्र स्व0 श्री सज्जनसिंह,
पुत्र स्व0 श्री रिछपालसिंह
निवासीगण- पवेरा तहसील नारनोले
जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा

---आवेदकगण

बनाम

1. शीशराम आत्मज श्री सुखराम
2. महावीरसिंह आत्मज श्री सुखराम
3. भूपेन्द्र आत्मज श्री सुखराम
4. प्रीतमसिंह आत्मज श्री सुखराम

निवासीगण- ग्राम देलावाड़ी, कृषक ग्राम बमनई, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, म0प्र0

---अनावेदकगण

पुनरावलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 17/08/2016 पारित द्वारा न्यायालय श्री मनोज गोयल अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 94-पी0बी0आर0/16 निगरानी व उनवान दिलीपसिंह आदि बनाम शीशराम आदि ।

माननीय महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3427–पीबीआर/16 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2016	आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर तर्क सुने गये । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17–8–2016 का अवलोकन किया गया । म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	